भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1000

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि

1000. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी- कितनी धनराशि जारी की गई और इसके वितरण की तारीख क्या है;

(ख) पीएमजेवीके के अंतर्गत शामिल किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण हेतु पीएमजेवीके के अंतर्गत कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है और उसका वर्गीकरण क्या है;

(घ) पीएमजेवीके के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कब-कब शुरू की गई हैं;

(ङ) वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत छात्राओं को प्रदत्त निःशुल्क उपकरण और सुरक्षित पेयजल सुविधा वाले उपलब्ध स्वास्थ्य आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच फंड शेयरिंग के आधार पर अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है। पीएमजेवीके के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): इस योजना को पहले बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) के रूप में लागू किया गया था, जिसे मई, 2018 से देश के 1300 चिन्हित ब्लॉकों, कस्बों और जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में पुनर्गठित और कार्यान्वित किया गया है। इन 1300 चिन्हित ब्लॉकों, कस्बों और जिला मुख्यालयों की सूची इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए इस योजना को अब वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमजेवीके के तहत ऐसी परियोजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं जो जिले में ऐसे स्थान पर स्थित हों जहां 15 किलोमीटर के दायरे के कैचमेंट एरिया में अल्पसंख्यक आबादी 25% या अधिक हो।

पीएमजेवीके दिशानिर्देशों के अनुसार, चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। पीएमजेवीके के तहत कोई भूमि लागत प्रदान नहीं की जाती है।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत और क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): पीएमजेवीके के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:-

राज्य	**अनुमोदित ईकाईयों की संख्या**
अरूणाचल प्रदेश	2
कर्नाटक	51
तमिलनाडु	27
त्रिपुरा	5

(च) और (छ): वर्ष 2020-2021 में नीति आयोग द्वारा पीएमजेवीके का एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था, जिसमें पाया गया कि यह योजना देश के चिन्हित क्षेत्रों में विकास की कमी को पूरा करने में सहायक थी और इसने स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, अतिरिक्त कक्षाएं, नए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, आदि प्रदान करने में योगदान दिया है।

वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम के पुनर्गठन से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसमें महिला-केंद्रित परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। नीति आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ योजना का कवरेज बढ़ाने की सिफारिश की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचें।

******

अनुबंध-I

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमजेवीके के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
असम	7148.95	15999.31	_
अरूणाचल प्रदेश	1804.58	2137.58	_
आंध्र प्रदेश	5676.74	689.91	_
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.80	49.49	_
बिहार	384.905	621.89	_
छत्तीसगढ़	228.57	100.80	_
दिल्ली	_	_	_
गुजरात	1329.77	_	_
हिमाचल प्रदेश	_	_	_
हरियाणा	_	1378.50	_
झारखंड	188.82	2613.70	_
जम्मू और कश्मीर	_	_	_
कर्नाटक	4117.02	3514.32	_
केरल	_	4269.08	_
मणिपुर	8956.45	18727.01	_
मेघालय	_	7725.15	_
मिजोरम	2881.18	5841.39	_
मध्य प्रदेश	10749.91	154.80	_
महाराष्ट्र	5926.54	3954.72	_
नागालैंड	9077.63	1442.02	_
ओडिशा	500.00	2165	_
पंजाब	_	_	10457.70
राजस्थान	4180.084	2461.31	_
सिक्किम	1042.39	19541.61	_
तेलंगाना	-	2079.07	_
त्रिपुरा	506.69	649.29	_
तमिलनाडु	856.43	18118.77	_
उत्तर प्रदेश	9832.401	737.67	_
उत्तराखंड	2966.82	1575.68	_
पश्चिम बंगाल	20737.26	3852.8	_

अनुबंध-II

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत और क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या जिनका कार्य प्रगति पर है
स्कूल भवन	37	24
आवासीय स्कूल	15	13
स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	51	38
कालेज	7	5
स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	801	222
स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम/कंप्यूटर लैब/शिक्षण सहायक सामग्री	5515	2315
स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	4481	290
स्वास्थ्य परियोजनाएं	446	80
आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	8	6
पॉलिटेक्निक/मौजूदा पॉलिटेक्निक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1	1
कौशल केंद्र	9	1
हुनर हब	1	1
कामकाजी महिला छात्रावास	5	4
आंगनवाडी केंद्र	85	46
सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	44	22
खेल परियोजनाएं	69	63
पेय जल	3	2
कॉलेज में बुनियादी ढांचा	4	4
स्वच्छता परियोजनाएं	5	3

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और कार्यरत परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	कार्य इकाइयों की संख्या जो प्रगति पर है
स्कूल भवन	5	4
स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	2	2
अतिरिक्त कक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/स्कूलों में हॉल	45	45
स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	17	16
स्वास्थ्य परियोजनाएं	2	2
आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	6	6
पॉलिटेक्निक/मौजूदा पॉलिटेक्निक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1	1
कामकाजी महिला छात्रावास	2	2
सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1	1
कॉलेज में बुनियादी ढांचा	1	1
स्वच्छता परियोजनाएं	2	2